न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस०)

कोर्ट नं० ९ फतेहपुर ।

जमानत आवेदनपत्र संख्या–३०९/२०२०

(सी०एन०आर०नं०–यू०पी०एफ०टी०–०१००१७२७/२०२०)

चन्द्रशेखर अवस्थी पुत्र राधेश्याम अवस्थी उम्र ५० वर्ष निवासी– ग्राम–सीर इब्राहीमपुर थाना हुसेनगंज, जिला फतेहपुर।

.....आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश

...अभियोजक

धारा–८/२०एन०डी०पी०एस०एक्ट

थाना–हुसेनगंज

जिला– फतेहपुर

अ०सं०– २४/२०२०

<u>आदेश</u>

१– प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/चन्द्रशेखर अवस्थी मय शपथ पत्र राधेश्याम पुत्र स्व कमला कान्त अन्तर्गत धारा ८/२०एन०डी०पी०एस०एक्ट अ०सं०–२४/२०२० थाना हुसेनगंज, जनपद फतेहपुर के मामले में जमानत हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

२–संक्षेप में अभियोजन कथानक इसप्रकार है कि वादी मुकदमा एस.आई. सुरेन्द्र सिंह मय हमराह दिनाँक– १५–०२–२०२० को बिनावर देखभाल क्षेत्रगस्त चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व संदिग्ध वाहन में कस्बा मवई में मामूर था। मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि साहब इब्राहीमपुर की तरफ से एक व्यक्ति एक थैले में कुछ मादक पदार्थ लेकर आ रहा है। अगर जल्दी करे तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर खास की बात पर विश्वास कर मय हमराही तथा मुखबिर खास को साथ लेकर सीर इब्राहीमपुर की तरफ चल दिया कि मवई पुलिया से लगभग २०० मी० चलने पर मुखबिर खास ने बताया कि साहब यह वही व्यक्ति है इब्राहीमपुर की तरफ से आ रहा व्यक्ति हम पुलिस वालों को देखर पीछे मुड़कर तेज कदमों से भागने लगा हम पुलिस वालों ने १०० मी० के लगभग में उसे पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूंछते हुए भागने का कारण पूछा गया तो उसने अपना नाम चन्द्रशेखर अवस्थी पुत्र राधेश्याम अवस्थी बताया और कहा कि साहब मेरे पास

नाजायज गाँजा है। पकड़े जाने के डर से आप लोगों को देख कर भाग रहे थे। इस पर उस व्यक्ति को किसी राजपत्रिक अधिकारी के समक्ष तलाशी के लिए कहा गया तो उसने कहा कि साहब आप पकड़ ही लिए हैं तो आप ही तलाशी ले लीजिए। मुझे आप पर विश्वास है। उस व्यक्ति से लिखित सहमति पत्र लेकर जामा तलाशी ली गयी तो झोले में गांजा बरामद हुआ। तराजू व वाट मंगा कर बरामद माल को तौला गया तो उसका वजन १ किलो ५०० ग्राम गांजा बरामद हुआ। जिसमें से १०० ग्राम बतौर नमूना निकाल कर शेष को झोले में रखकर सीलमोहर करके नमूना तैयार किया गया। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध धारा ८/२० एन०डी०पी०एस०एक्ट अपराध सं०- २४/२०२० थाना हुसेनगंज, जिला फतेहपुर में दर्ज किया गया।

३-अभियुक्त ने अपने जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि वह दिनाँक- १५-०२-२०२० से जिला कारागार में निरुद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त का फर्जी चालान एन०डी०पी०एस०एक्ट में कर दिया। प्रार्थी के पास से बरामद गाँजा की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से अत्यधिक कम है जमानत पर प्रार्थी/अभियुक्त जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। उपरोक्त आधारों पर जमानत प्रा०प्रत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी है।

४- प्रार्थी /अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थनापत्र में कहे गये कथनों के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कराते हुए कहा है कि प्रार्थी निर्दोष है वह दिनाँक- १५-०२-२०२० से जिला कारागार में निरुद्ध है प्रार्थी विचारण में पूरा सहयोग करेगा और जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। उपरोक्त आधारों पर जमानत की प्रार्थना की गयी है।

५- सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का घोर विरोध किया है। उनके द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त के विरुद्ध कई मुकदमें दर्ज हैं एवं उसका आपराधिक इतिहास है।

६- उभय पक्षों को सुनने एवं पत्रावली का परिशीलन से यह स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त के पास से १ किलो ५०० ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ। यह भी स्पष्ट है कि बरामदगी का कोई जनसाक्षी नहीं है अभियुक्त के पास बरामद गाँजा की मात्रा अल्प मात्रा से कुछ ही ज्यादा है। अभियुक्त दिनाँक- १५-०२-२०२० से जिला कारागार में निरुद्ध है। अभियुक्त की ओर से राधेश्याम द्वारा शपथपत्र इस आशय का दिया गया है कि उसके विरुद्ध दर्ज अन्य मुकदमें में वह जमानत पर है और किसी मुकदमें में इसे सजा नहीं हुयी है।अतः

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुण दोष पर विचार व्यक्त किये बिना अभियुक्त के जमानत का आधार पर्याप्त है। तदनुसार प्रार्थी / अभियुक्त चन्द्रशेखर अवस्थी का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी / अभियुक्त चन्द्रशेखर अवस्थी का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है अभियुक्त द्वारा ५०,००० रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर उसे दौरान विचारण जमानत पर रिहा किया जाता है। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह इस आशय की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करे कि वह दौरान विचारण किसी आपराधिक गतिविधि में सलग्न नहीं होगा।

दिनांक– ०७–०८–२०२०

(कमलकान्त श्रीवास्तव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
एन.डी.पी.एस.एक्ट
कोर्ट नं० ०९ फतेहपुर।